राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(44)ग्राविवि / ग्रुप–5 / आवास / प्रगति / समीक्षा / 2015–16 जयपुर, दि. 10 मार्च, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– आवास योजनाओं के अन्तर्गत किशत हस्तांतरण प्रक्रिया के सम्बंध में।
प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(22)ग्रावि / ग्रुप–5 / ई.आ. / लेखा / 2015–16 दि. 27.04.2015

उपरोक्त विषयन्तर्गत प्रासगिक पत्र द्वारा आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों की किशत हस्तांतरण की प्रक्रिया के सम्बंध में निर्देश प्रदान किये गये कि वर्ष 2015–16 से पूर्व वर्षो के सभी आवासीय योजनाओं के स्वीकृत आवासों को द्वितीय व तृतीय किशत हस्तांतरण हेतु पंचायत समिति द्वारा Payment Order Sheets Generate कर जिला परिषद को ई–मेल द्वारा प्रस्तुत करेगी। जिला परिषद द्वारा उक्त ई–मेल से प्राप्त Order Sheets के आधार पर अधिकतम 5 कार्य दिवस में सम्बंधित लाभार्थी के खाते में राशि हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेगी। उक्त सम्बंध में विभिन्न बैठकों / वी.सी. के दौरान योजना की समीक्षा के समय भी ध्यान में लाया जाता रहा है।

कुछ जिला परिषदों के द्वारा अभी भी पंचायत समितियों से Order Sheets की हार्ड प्रति मंगवाई जा रही हैं, जिसके कारण किशत हस्तांतरण में अधिक समय लग रहा है, जो कि आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में किये गये निर्देशों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जावे, अन्यथा की स्थिति में विलम्ब हेतु आपकी जिम्मेदारी तय की जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

10/3/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि